

सेवा में

श्री मान पुलिस अधीक्षक महोदय  
जिला सिंगरौली म0प्र0

बिषय:- बिप्रो कम्पनी की धोखाधडी का शिकार विकलांग व्यक्ति खा रहा दर-दर की ठोकरें,

जिले के बरगवां का एक विकलांग व्यक्ति निरज गुप्ता पिता श्री मुन्नीलाल गुप्ता जो कि पैर से जन्मजात विकलांग है उक्त व्यक्ति किसी प्रकार से अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था कर अपना जीवन यापन कर रहा था। उक्त व्यक्ति घर की माली हालत की स्थिती में स्नातक तथा आई0ए0सी0एम0 संस्थान बैढन से कम्प्यूटर हार्डवेयर नेटवर्कींग का कोर्स किया एवं नेटवर्कींग करने के बाद दिल्ली के ए0एन0जी0 कम्पनी में सिक्योरिटी सिस्टम लगाने का काम मिल गया बतौर निरज गुप्ता उक्त कार्य को बडे ही ईमानदारी व मेहनत से करता रहा। और मात्र निरज गुप्ता ही नहीं हर नौकरी तलास करने वाले की इच्छा होती है की वह एक मल्टीनेशनल कम्पनी में एक कर्मचारी बनने की चाह होती है। तभी एक दौर ऐसा आया की दिनांक 15 फरवरी 2013 को सुरेश महतो (09716218796) जो की झारखंड के धनबाद जिले का रहने वाला था ने बिप्रो कम्पनी में स्थाई नौकरी के लिये बताया और कहा की तुम्हे 20,0000 रु बतौर सिक्योरिटी मनी देने की बात कही और। और कहा की मेरा पैसा रिफंडेबल चेक के द्वारा वापस मिल जायेगा, जब निरज गुप्ता ने इसकी बातों पर विश्वास नहीं किया तो उसने अपना आफर लेटर एवं ईमेल ([srinivasan@recruitment-wipro.com](mailto:srinivasan@recruitment-wipro.com)) दिखाई ईमेल देखने से गलत नही लग रहा है, दिखाया और कहा की करना हो तो एडवांस दे दो तब जब मैंने हॉ किफ तो सुरेश महतो ने अपने मोबाईल से एक एस0एम0एस0 कर मुझे दिनांक (19/02/2013, 9:37) को आई0सी0आई0सी आई0 बैंक अकाउंट नं0 082401500489 दिया जोकि मृदुल घोष के नाम से था पर मैंने एक्सीस बैंक एकाउंट मांगा तब दिनांक (19/02/2013, 13:16) को मुझे एक्सीस बैंक का एकाउन्ट नं0 मिला जो 911010036113712 जो सान्डील्य आलोक कुमार सीटी सेनट्रल ब्रान्च धनबाद में पैसे भेजने को कहा तब मैंने एक्सीस बैंक के एकाउन्ट में अपने एटीएम कार्ड से फन्ड ट्रान्सफर किया जिससे दिनांक (21/02/13) को मेरा फोन से साक्षात्कार हुआ और उसके बाद दिनांक (24/02/2013) को ऑफर लेटर आ गया, ऑफर लेटर अंदर सिक्योरिटी में था, उसमे न तो कुछ चेंज कर सकते है न ही प्रिंट कर सकते है |जिससे यह सब देख मैं ए0एन0जी0 कम्पनी प्रबंधन को इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफे के 15 दिवस के बाद सुरेश महतो के माध्यम से मुझे बताया गया की विप्रो कम्पनी मे मेरी ज्वायनींग को अभी दो से तीन महीने का वक्त लगेगा इस बीच मैं अपने घर आकर विप्रो कम्पनी के द्वारा बुलावे का इंतजार करने लगा। तीन महीने का समय गुजर जाने के बाद मेरी बात सुरेश महतो के द्वारा मुझे एक नम्बर मिला नं0-08961596670 जो आलोक सान्डील्य के नाम से था से बात हुयी बात करने पर मेरी ज्वायनींग की प्रोसेस चालू हुयी और कम्पनी के द्वारा दिनांक 18/06/2013 को एक मेल जिसमे मुझसे मेरा मंडीकल चेक करवाने की बात हुयी तब मैंने अपनी मंडीकल की जानकारी दिनांक ;21/06/2013 को दिया उसके बाद दिनांक ;26/08/2013 को एक मेल जिसमे सिनर्जी एकाउन्ट आया जिसमें मुझे आई0डी0 Log in 8740065472 Password - wipro@123456 प्राप्त हुआ और मेल के द्वारा बताया गया की यह एकाउन्ट 28 कार्यदिवस पुरे होने पर साईड (<https://synergy.wipro.com/NASApp/com/SynergyLogin.jsp>) पर चालू होगी पर निर्धारित समय पर यह चालू नहीं हुआ और इसके बाद मुझे दिनांक आफर मिला की अगर मैं एक या दो लडकों को और देता हूँ तो मुझे और बडे पोस्ट पर काम दिया जायेगा और मुझे एक मेल दिनांक (10/10/2013) को जिसमे ऐ बताया गया की मेरी पोस्ट अपग्रेट कर दिया गया है जिसका (Request No - H876400-H37) है और मेरे द्वारा लडकों को न देने की बात पर कम्पनी के द्वारा इसी मेल के माध्यम से ऐ बताआ गया कि अगर मैं अपनी कमीटमेन्ट को 48 घन्टे के अन्दर पुरा नही की तो मेरी ज्वाईन की

प्रोसेस को रद्द कर दिया जाएगा और तब मैंने दिनांक (11/10/2013) को एक मेल के माध्यम से कम्पनी से जानने का प्रयास किया कम्पनी को जो कुछ मुझसे चाहीए वो ईमेल के माध्यम से बताए और कम्पनी को सक्त चेताया की अगर मेरी और मेरे दोस्तों की ज्वार्इन नही हुई तो मैं इसके लिए कोर्ट मे जाउंगा और मेरे पास पर्याप्त सबुत भी है और इसी बीच मेरे दोस्त पवन नारवल को दिनांक 16/10/2013 को ए जानकारी न्युज पेपर दैनिक भास्कर के (राजस्थान एडीशन) के माध्यम से मिली की कम्पनी प्रबन्धन के द्वारा कुछ लोग कम्पनी का नाम लेकर गलत आफर दें कर जनता को बेवकुफ बनाया जाता है अब तब मुझे ए अहसास हो चुका था कि यहा से मुझे कोई नोकरी नही मिलेगी और मेरा भविष्य चौपट हो चुका है अब मैंने अपने जहन मे ए पक्का इरादा कर लिया की इन सबको पकडवा कर कानून के हवाले करूंगा उसके लिये मुझे चाहे जो करना पडा वो करूंगा इसके लिये मैंने सबसे पहले दोनो एकाउंट नम्बर की डिटेल निकालने के लिये दोनो बैंक के कर्मचारीओ से गुप्त रूप से सर्म्पक किया और उनकी जानकारी हासील किया।

1. आलोक कुमार सांधल्या खाता कं. 911010036113712 एक्सीस बैंक ब्रान्च सिटी सेन्टर धनवाद बिहार मोबाईल कं. 09088013796, 8961596670 और ईमेल आई0डी0 [shandilyaalokekumar@gmail.com](mailto:shandilyaalokekumar@gmail.com)
2. मृदुल घोस और मौसमी कौल ज्वार्इन्ट आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक खाता कं. 082401500489, पता रमाकान्त मिस्ती, मैंन ग्राउन्ड फ्लोड मुर्चीपरा ईस्कोयर कोलकत्ता मोबाईल कं. 08443926007, ईमेल आई0डी0 [rocks.jesuschrist@gmail.com](mailto:rocks.jesuschrist@gmail.com)

कर दिनांक (19/11/2013) को कम्पनी प्रबन्धन को एक ईमेल के माध्यम से चेताया की अगर मैं ए जानकारी हासील कर सकता हु तो तुम्हारे साथ क्या नही कर सकता इस लिये मैं कम्पनी से अनुरोध करता हु कि मेरी और मेरे दोस्तों की ज्वार्इनिंग कर हम सबकी लाईफ को खराब होने से बचा लिया जाय अन्यथा मैं एक सप्ताह मे अगर ज्वार्इन नही हुई तो मैं भारत सरकार की मदत लेकर कम्पनी प्रबन्धन के खिलाफ लामबंद हो जाउंगा जिससे पहले मुझे दिनांक (22/11/2013) समझाने का प्रयास की पर जब मैं नही माना तब कम्पनी प्रबन्धन के द्वारा दिनांक (25/11/2013) को एक मेल के माध्यम से बताया गया की मेरे प्रोसेस (Notice Reference No 40954-H213) को फिर से चालू किया और जिसमे मुझसे पुनः मेरे प्रमाण पत्र मागा गया जो मेरे द्वारा दिनांक (26/11/2013) दिया और कम्पनी को एक महीने का समय देकर यह बोला गया की अगर उक्त समय मे मेरी और मेरे दोस्तों की ज्वार्इनिंग न हुई तो भारत सरकार की मदद की बात कही गयी थी। तब दिनांक 11/12/2013 को एक मेल के माध्यम से कम्पनी प्रबन्धन द्वारा मुझे चेताया गया की मैं 24-48 घंटे के अन्दर मैं कर्न्फम करू की जो प्रमाण पत्र दिया है वह सही है जो मेरे द्वारा दिनांक 12/12/2013 को कर्न्फमेसन दिया गया की मेरे द्वारा जो प्रमाण पत्र दिया गया है वो सही है और वही दुसरी ओर मैं दिनांक (24/11/2013) को कम्पनी की मेल आई डी ([helpdesk.recruitment@wipro.com](mailto:helpdesk.recruitment@wipro.com)) पर आफर लेटर वाली ईमेल को भेजा और जानकारी मांगी की मेरी स्थिती क्या है तो कम्पनी से दिनांक (13/01/2014) को वापस जबाब मिला की यह सब गलत है। और यह सारी मेल एक फेक मेल है। जिससे कम्पनी का कोई सम्बन्ध नहीं है। तब मैंने कम्पनी से इसके फेक होने का बार-बार प्रमाण मांगने पर कम्पनी के द्वारा जानकारी नहीं दी गई और कहा गया की मैं नियरेस्ट पुलिस स्टेसन मे एफ0आई0आर0 करने को कहा गया तब मैंने दिनांक दिनांक (18/02/2014) पूरी मेल की कांपी कर सी0बी0 में डाला गया जिससे दिनांक (19/02/2014) को कम्पनी प्रबन्धन से एक साईड दिया गया और बताया की गलत ईमेल यहां से बनता है पर जब मेरे द्वारा इस साईड का गहन अध्यन करने पर जानकारी मिली की गलत ईमेल बनाने के लिये एक फार्म भरना पडता है और कुछ पैसे आनलाईन देने होते है जो की ए0टी0एम0 से ही सम्भव है जिससे जो भी गलत ईमेल बनाता है तो उसकी पुरी जानकारी इस साईड मे जुडी होगी जिससे कम्पनी प्रबन्धन आसानी से प्राप्त कर, गलत ईमेल बनाने वाले के खिलाफ

लीगल एक्शन लेकर कानूनी कार्यवाही कर सकता या पर उसने ऐसा नहीं किया जिससे साबित होता है कि ये पुरी प्रक्रीया कम्पनी प्रबन्ध ही करवा रहा है और इसके विपरीत किसी भी शिक्षण संस्थान या कोई भी कम्पनी अपने कर्मचारी को ऐसी साइड के बारे में नहीं बताती है जिससे अगर कोई बेकसुर छात्र अगर इस तरह से धोखा खाता है तो इसके लिये पुरी जिम्मेवारी कम्पनी प्रबन्धन की होनी चाहिये! वही दुसरी ओर मुझे एक मेल दिनांक 19/02/2014 को एक ईमेल ([acharya.sourav@yahoo.in](mailto:acharya.sourav@yahoo.in)) से प्राप्त हुआ और कहा गया कि मैं अपना कलर प्रमाण पत्र की छाया कापी मागी गयी मेरे द्वारा दिनांक 20/02/2014 को दिया गया और वही दुसरी ओर सी0बी0 साइड से दिनांक 20/02/2014 मुझे एक एस0एम0एस0 और एक फेसबुक लिंक आया जिसमें मुझसे आग्रह किया गया कि आलोक सधलिया नाम का एक व्यक्ति पकडा गया है और मैं अपना मोबाइल नं. दु जिससे मैं कम्पनी से जुडकर जो भी मेरे पास जानकारी है कम्पनी को दु जिससे कम्पनी उनलोगो को पकड सके! मैंने अपना मोबाइल नं. और ईमेल आई0डी0 सेंड कर दिया जिससे दिनांक (20/02/2014) उस साइड के माध्यम से एक सौरव आर्चाया नाम का एक व्यक्ति की काल (मोबाइल नं. 09051923234) आया और ऐ बताया गया कि आलोक नाम का एक व्यक्ति पकडा गया है चुंकी सौरव आर्चाया सी0बी0 के माध्यम से मुझसे जुडा था इस लिये मैंने उसे पुरी जानकारी दे दी और मैंने सौरव आर्चाया के बारे में सी0बी0 के माध्यम से जानकारी लि तो दिनांक 21/02/2014 को बताया गया की हा यह सही है! वही दुसरी ओर दिनांक 24/02/2014 ई0डी0 [acharya.sourav@yahoo.in](mailto:acharya.sourav@yahoo.in) से एक मेल जिसमें बताया गया कि मेरे ज्वाइनिंग का समय **Documentation Date - 17th March, 2014 and Induction Date – 20<sup>th</sup> March, 2014** है चुंकि मुझे सबुत कलेक्ट करना था इसलिये मैं सब कुछ देख रहा था वही दुसरी ओर कम्पलेन बोर्ड से जो फेसबुक की साइड आई थी उसमें ये दिखाया गया कि मृदुल नाम का व्यक्ति भी पकडा गया है और सौरव आर्चाया के माध्यम से कहा गया की ऐ पुरी प्रक्रीया कलकत्ता कोर्ट में चल रहा है और मैं नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में एफ0आई0आर0 करने को कहा गया जिससे इस प्रक्रीया में मजबुती आए पर मेरे गांव के पुलिस विभाग का कहना था कि इस केस में सी0बी0आई0 काम कर रही है तो वो कुछ नहीं कर सकती वही सौरव के द्वारा दिनांक 27/02/2014 को ऐ कहा गया की इस काम करने में राजनितीक अडचन आरही है क्युकि मृदुल ने बहुत सी पार्टी से जुडा है जिसकी रिकार्डींग मैंने यूतूब में डाल रखी है इसी दर्मीयान मेरे दोस्त पवन नारवल के ईमेल में एक मेल दिनांक (27/02/2014) को ईमेल आई0 [resourcing.infotech@wipro.com](mailto:resourcing.infotech@wipro.com) से मेरे दोस्त पवन नारवल के ईमेल ([Pk.narwal.14@gmail.com](mailto:Pk.narwal.14@gmail.com)) में कम्पनी द्वारा एक ईमेल जिसमें पुनः सिनर्जी एकाउन्ट जिसका (Synergy User Name :599080) आ गया जो साइड (<https://synergy.wipro.com/CandidateWILogin.html>) में खुलने की बात कही गयी उसके बाद पुनः एक मेल जिसमें (Password-19MAANPA) इसी मेल आई0डी0 से 3 घंटे के अन्दर आ गई इस बार एकाउन्ट खुल गई और इसके कुछ दिन बाद दिनांक (11/03/2014) को ईमेल आई0डी0 ([mahima.hegde@wipro.com](mailto:mahima.hegde@wipro.com)) से काल लेटर (Contact Person: Dhruv) भी आ गई पर जब मैं इस काल लेटर के बारे में कम्पनी की आई0डी0 ([helpdesk.recruitment@wipro.com](mailto:helpdesk.recruitment@wipro.com)) से दिनांक (13/03/2014) को जानकारी लेने की कोसीस की तो कम्पनी के द्वारा दिनांक (19/03/2014) को ऐ बताया गया की अगर मैं किसी रिक्रुयेटर से जुडा हूँ तो वो मुझे इन्टरव्यू के लिये बुला रहा है पर जब मैंने दिनांक (28/03/2014) को ईमेल आई0 [resourcing.infotech@wipro.com](mailto:resourcing.infotech@wipro.com) से आए हुए सिनर्जी एकाउन्ट के बारे में जानकारी मागी तो कम्पनी के द्वारा दिनांक (03/04/2014) को जबाब न देते हुए पुलिस में एफ0आई0आर0 की बात दुहराई गई अब तक जो भी इस प्रोसेस को करवा रहा था वो पकडा जा चुका था। सी0बी0 की साइड पर सक तब हुआ जब सी0बी0 की जिस साइड से सौरव मुझसे जुडा था उस साइड से मेरे और उस साइड के बार्तालाप के कुछ एस0एम0एस0 डिलीट किया जा रहा है तब मैंने पुरी मेल और सबुत की बीडीओ बनाने के लिये दिल्ली गया और वहा से सारी सबुत का बिडीओ (**WIPRO START TO CHEAT INNOCENCE PEOPLE PORT 1 OF 5**) बनाकर मैं दिनांक (16/04/2014) को यूतूब की साइड में डालकर उसकी लींक को दिनांक (16/04/2014) को कम्पनी को सेन्ड किया।

<https://www.youtube.com/watch?v=v1sVRjwULWk&feature=youtu.be>  
<https://www.youtube.com/watch?v=HwT6nUt1cow&feature=youtu.be>  
<https://www.youtube.com/watch?v=zxsBuUz0ImE&feature=youtu.be>  
<https://www.youtube.com/watch?v=ZDzRBZDUYRg&feature=youtu.be>  
<https://www.youtube.com/watch?v=bwZXaVLZADw&feature=youtu.be>

पर कम्पनी प्रबन्धन को इससे कोई फर्क न पडता और कम्पनी के माध्यम से बार-बार आग्रह किया जाता रहा की मैं अपने नजदिकीय पुलिस स्टेशन मे जाकर एफ0आई0र0 कर दु। ऐ सब देख मैं दुसरी कम्पनी मे नोकरी तलासने लगा तब एक दौर वो भी आ गया की दिनांक 18/06/2014 को मुझे एक प्राइवेट कम्पनी मैं सेलेक्ट भी हो गया और अगले दिन मुझे ज्वाइनींग करना था पर अचानक मुझे ऐसा अनदेसा हुआ की कुछ लोग मेरा पिछा कर रहे है जिससे मैं किसी अनहोनी होने के डर से उक्त दिनांक को ही माननीय प्रधान मंत्री महोदय को उक्त बिवरण से अवगत कराने की मंशा से लेटर की कापी अपने एक अन्य दोस्त को दे कर और ये कह कर की इसे रजीस्टर्ड डाक करने कह मैं दिल्ली से भाग खडा हुआ जो मेरे दोस्त के द्वारा उक्त लेटर दिनांक 19/06/2014 को माननीय प्रधान मंत्री महोदय को उक्त पत्र साउथ एक्स नई दिल्ली से रजीस्टर्ड डाक द्वारा और मैं स्वयं दिनांक 02/07/2014 को माननीय सायबर काइम सेल को कोरियर द्वारा बरगवां से प्रेषित किया है। जिससे साइबर काइम सेल के माध्यम से एक शिकायत क0-C-2621/DCP/EOW जो ईमेल आई0डी0 से (cybercell.eow12@gmail.com) प्राप्त हुआ इसी बिच मैं साइड सी0बी0 की गहन अध्यन करने लगा जिससे मुझे पता चला की यह सी0बी0 की साइट बिप्रो कम्पनी के नाम से गुगल मे (Complain Board of Wipro Company) र्सच करने पर सी0बी0 की यही साइड खुलती है जिसमे बिप्रो कम्पनी की नाम कही भी नजर नही दिखता जिससे ये साफ होता है कि कम्पनी प्रबन्धन की मंशा क्या है? और इधर काफी समय बीत जाने के बावजूद जब कुछ नही होता देख मैं दिनांक 02/11/2014 को प्रधान मन्त्री को पुनः एक लेटर से इस ओर ध्यान देने वावत् विनम्र आग्रह किया पर फिर भी माननीय प्रधान मंत्री महोदय और साइबर काइम सेल के माध्यम से कुछ न होता देख मैं 29/11/2014 को पुनः न्याय की गुहार लगाई।

प्रार्थी

निरज गुप्ता